रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 123] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 2008/चैत्र 11, 1930
No. 123] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 2008/CHAITRA 11, 1930

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2008

फा. सं. 23/2/2005-आर एण्ड आर (खण्ड IV).—विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 3 के प्रावधानों के अंतर्गत टैरिफ नीति अधिसूचित करने संबंधी भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग I खण्ड I में प्रकाशित इस मंत्रालय के संकल्प फाइल सं0 23/2/2005- आर एण्ड आर (खण्ड III) दिनांक 6 जनवरी 2006 में निम्न संशोधन किए जाते हैं ।

टैरिफ नीति के पैरा 5.1 के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा गया है:

" बशर्ते कि जल विद्युत परियोजना जो कि राज्य के नियंत्रण/स्वामित्व वाली कंपनी न हो, के विकासकर्त्ता को सेवा विनियमों की कार्यनिष्पादन आधारित लागत के आधार पर उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारित कराने का विकल्प होगा यदि निम्नलिखित शर्तों को पूरा कर लिया जाता है

(क) उपयुक्त आयोग संतुष्ट है कि एक पारदर्शी द्वि-स्तरीय प्रक्रिया अपनाने के पश्चात संबंधित राज्य सरकार द्वारा विकासकर्त्ता को परियोजना स्थल आवंटित किया गया है । प्रक्रिया का प्रथम स्तर पूर्व अर्हता हेतु निम्न मानदण्डों के आधार पर होना चाहिए जैसे कि निवल मूल्य द्वारा मापी गई वित्तीय क्षमता, समान आकार की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को विकसित करने का विगत अनुभव टर्न-ओवर कार्यनिष्पादन गारन्टी को पूरा करने की योग्यता इत्यादि । दूसरे स्तर पर केवल एक सकल मात्रानिर्धारक पैरामीटर यथा 13% से अधिक निःशुल्क विद्युत, राज्य सरकार को प्रदान की गई इक्विटी भागीदारी अथवा अग्रिम भुगतान इत्यादि के आधार पर बोलियां आमंत्रित की जाए ।

(ख) 100 मे.वा. डिजाइन क्षमता से अधिक की परियोजनाओं, जिनके लिए स्थलों का आवंटन एक पारदर्शी मानदण्ड प्रक्रिया अपनाकर और पूर्व निर्धारित मानदंड के आधार पर की गई है, को भी इस व्यवस्था में सम्मिलित किया जाएगा ।

(ग) के.वि.प्रा. की स्वीकृति (यदि अधिनियम की धारा 8 के तहत अपेक्षित हो) वित्तीय समापन, कार्य सौंपना, वितरण लाइसेंस धारियों के साथ नीचे (घ) में निर्धारित क्षमता का दीर्घकालीन पीपीए (35 वर्षों से अधिक) 31.12.2010 तक पूरे कर लिए जाएं ।

(घ) दीर्घावधि पीपीए कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा का कम से कम 60% होगा । किंतु 60% तक के इस आंकड़े में निर्माण के आरंभ होने से पूर्व उपर्युक्त आयोग द्वारा अनुमोदित निर्धारित तारीख की तुलना में परियोजना की अंतिम यूनिट के शुरू होने में प्रत्येक 6 माह के विलंब के लिए 5% तक की वृद्धि होगी । परियोजना के सभी यूनिटों को शुरू करने के लिए समयावधि उपयुक्त आयोग द्वारा आरंभिक सूची के अनुमोदन की तारीख से 4 वर्ष होगी । किंतु, उपयुक्त आयोग, कारणों को लेखाबद्ध करने के पश्चात् बड़ी स्टोरेज परियोजनाओं तथा 500 मेगावाट क्षमता से अधिक की रन-ऑफ-दि-रिवर परियोजनाओं के लिए लंबी समयावधि निर्धारित कर सकेगा । चालू करने के निर्धारित समय की प्राप्ति हेतु सहमत समय-सीमाओं के अनुसरण की जांच स्वतंत्र तृतीय पक्ष जांच के माध्यम से की जाएगी।

(ड.) उपकरण की आपूर्ति एवं परियोजना के निर्माण के लिए ठेका सौपने का कार्य, या तो टर्न-की के माध्यम से अथवा सुप्रभावित पैकेजों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के आधार पर किया जाता है ।

उन मामलों में, जहां उपरोक्त (क) से (ड.) में वर्णित शर्तें पूरी की जाती है, उपयुक्त आयोग निम्नलिखित को सुनिश्चित करते हुए टैरिफ निर्धारित करेगाः-

(i) परियोजना स्थल आबंटित करने (13% तक की निःशुल्क विद्युत के अलावा) के लिए परियोजना विकासकर्त्ता द्वारा वहन किए गए अथवा वहन किए जाने के लिए प्रतिबद्ध कोई व्यय न तो परियोजना लागत में शामिल किया जाएगा और न ही इस प्रकार का कोई व्यय की टैरिफ में शामिल किया जाएगा ।

(ii) परियोजना लागत में निम्नलिखित शामिल होगा-

- परियोजना की अनुमोदित आर एंड आर योजना की लागत निम्नलिखित के अनुसार होगीः
  (क) वर्तमान में मान्य राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति
  (ख) आर एंड आर पैकेज जैसा कि परिशिष्ट के रुप में संलग्न है ।

- विद्युत मंत्रालय मंजूर की गई परियोजना रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र में आरजीजीवीवाई परियोजना के लिए परियोजना विकासकर्त्ताओं के 10% योगदान की लागत ।

(iii) वार्षिक निर्धारित प्रभार कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा के संबंध में दीर्घावधि पीपीए के आधार पर टाई-अप की गई विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा के लिए आनुपातिक रुप से ली जाएगी जिसे कुल विक्रय योग्य डिजाइन ऊर्जा से निम्नलिखित को घटाकर प्राप्त किया जाएगा-

(क) 13% निःशुल्क विद्युत (मेजबान सरकार के लिए 12% तथा राज्य सरकार द्वारा गठित स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के योगदान के लिए 1%) । इस 12% निःशुल्क विद्युत को राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार पृथक-पृथक समय के लिए रखा जाए ।

(ख) आरंभन की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए नामोद्दिष्ट पुनर्स्थापन क्षेत्र/परियोजना क्षेत्रों में संबंधित वितरण लाइसेंसी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित प्रत्येक परियोजना प्रभावित परिवार को प्रत्येक माह 100 यूनिट बिजली के बराबर ऊर्जा निःशुल्क प्रदान की जाएगी ।"

आई. सी. पी. केशरी, संयुक्त सचिव

परिशिष्ट

जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अनुमोदित आर एंड आर प्रावधानों की मुख्य विशेषताएं

1. समावेशन सीमा

जल विद्युत परियोजना के विकास से एक भी परिवार के प्रभावित होने पर निम्नलिखित प्रावधान शामिल होंगे ।

2. परियोजना प्रभावित परिवार (पीएएफ) की परिभाषा

परियोजना प्रभावित परिवार वह है जिसका निवास-स्थान या अन्य संपत्ति या आजीविका का स्रोत जल विद्युत परियोजना के कार्य से प्रभावित हुआ हो और जो एल ए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो । प्रभावित परिवार में स्क्वॉटर (अनधिकृत निवासी) भी शामिल होंगे ।

3. कृषिक श्रमिक की परिभाषा

ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र के घोषित होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और मुख्यतः कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम के जरिए आजीविका चलाता हो ।

4. गैर-कृषिक श्रमिकों की परिभाषा

ऐसा व्यक्ति जो सामान्यतः प्रभावित क्षेत्र के घोषित होने की तारीख से दो वर्ष पूर्व से प्रभावित क्षेत्र में रह रहा हो और उसका प्रभावित क्षेत्र में कोई जमीन न हो और वह अपनी आजीविका मुख्यतः शारीरिक श्रम से या ग्रामीण शिल्पकार या समुदाय सेवा प्रदाता के रूप में चलाता हो ।

5. स्क्वॉटर (अनधिकृत निवासी) की परिभाषा

प्रभावित क्षेत्र में कानूनी अधिकार रहित सरकारी भूमि का कब्जादार परिवार और वह एल ए अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्ष पूर्व से वहां रह रहा हो!

6. पुनर्वास/पुनःस्थापन कॉलोनियाँ

इस नीति का उद्देश्य उन परियोजना प्रभावित परिवारों का बना-बनाया मकान उपलब्ध कराना है जो हाइड्रो परियोजनाओं के विकास के कारण विस्थापित हो गए हों । किन्तु इच्छानुसार इसके बदले उदार मकान निर्माता भत्ता भी दिया जाएगा ।

7. प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

यह नीति परियोजना प्रभावित परिवारों तथा स्थानीय लोगों को सतत आजीविका के लिए प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल देता है । निर्माण शुरू होने से कम से कम छह महीने पूर्व परियोजना विकासकर्त्ताओं द्वारा स्थानीय लोगों को आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए आई टी आई द्वारा विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जाएगा । इससे पीएएफ एवं परियोजना के आस-पास में रह रहे लोगों की रोजगारोपयोगिता में वृद्धि होने की आशा है ।

8. अतिरिक्त प्रावधान

इन नीति में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त प्रावधान भी है:

- मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति
- चिकत्सा सुविधाओं का विस्तार
- विवाह अनुदान
- जीवन-निर्वाह अनुदान
- सहकारियों एवं सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आय उत्पादन योजनाओं हेतु सहायता
- बीज, कीटनाशक एवं उर्वरक सब्सिडी तथा सिंचाई सहायता

उपर्युक्त अतिरिक्त प्रावधानों के अलावा पुनर्वास एवं पुनःस्थापन पर राष्ट्रीय नीति के विद्यमान में लागू प्रावधान सामान्यतः प्रभावी बने रहेंगे ।